MOEF EDS 21.09.2021/Nodal EDS 23.06.2022 Compliance

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक -- / 14—1 (FP/UP/ Road/121197/2021)मुजफ्फरनगर दिनांक 01/7/2022

सेवा मे,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषय:- चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग मे 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग मे 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग मे 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग मे 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों / पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (परियोजना के सापेक्ष ललितपुर वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी 223.0 हे0 गैर वन भूमि के एस0ओ0आई0 टोपोशीट व अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0—8बी / यू0पी0 / 06 / 221 / 2021 / एफ.सी. / 403 दिनांक—21.09.2021, इस कार्यालय का पत्रांक—4778 / 14—1 (FP/UP/ Road/121197/2021), दिनांक—19.06.2022, वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर का पत्रांक—3350 / 14—10 दिनांक—20.06.2022 ,मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक—3696 / 11सी—एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 121197 दिनांक 23.06.2022, इस कार्यालय का पत्रांक— 4858 / 14—1 दिनाक—25.06.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर का पत्रांक—4684 / 13—1 दिनाक—28.06.2022 ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभांग मे 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष / पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0—8बी / यू0पी0 / 06 / 221 / 2021 / एफ.सी. / 403 दिनांक—21.09.2021 द्वारा कतिपय अभिलेखों / सूचनाओं की वांछना की गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक—19.06.2022 एवं वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर के संदर्भित पत्र दिनांक—20.06.2022 द्वारा भारत सरकार के संदर्भित दिनांक—21.09.2021 के अनुपालन में आवश्यक अभिलेख / अनुपालन आख्या नियमानुसार मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किये गये, जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उक्त अभिलेख / अनुपालन आख्या का परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त उक्त अभिलेख / अनुपालन आख्या में कतिपय कमियां पायी गयी। जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक—23.06.2022 द्वारा उनके कार्यालय को प्रेषित किये गये अभिलेख / अनुपालन आख्या मूल में वापस करते हुए त्रुटि का निराकरण करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक—25.06.2022 द्वारा संबंधित प्रभागों को वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के संदर्भित पत्र दिनांक—28.06.2022 (इस कार्यालय को दिनांक—29.06.2022 को प्राप्त) एवं मिर्जापुर वन प्रभाग के द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये गये है। मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक—23.06.2022 के अनुपालन में निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध कराये गये है (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक—21.09.2021 के क्रम में)—

(The proposal is for construction for new Road, so NFL has to be provided for CA since the implementing agency is State Goverment)

1—जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गयी 223.0 है0 गैर वन भूमि से संबंधित गाटावार अभिलेख (संलग्नक—1) ।

2—जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गयी 223.0 है0 गैर वन भूमि में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी 41.36 है0 गैर वन भूमि एवं शेष 182.0 है0 अनुपयुक्त गैर वन भूमि के संबंध में आख्या। (संलग्नक संख्या—2)

3—प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर में का 223.0 है0 गैर वन भूमि के संबंध में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध मे पत्र। (संलग्नक संख्या—3)

4—प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 182.0 है0 अवनत वन भूमि के संबंध में पत्र एवं लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट (संलग्नक संख्या—4)

(Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.)

5— मार्ग के नवनिर्माण का कार्य किया जाना है। अतः Muck disposal सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न Muck disposal से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है (संलग्नक संख्या—5)

(Roadside plantation Scheme (as approved by concerned DFO) needs to be submitted.)

6—सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान नहर पटरी से हटकर समान्तर अवशेष ROW में 2 लेन मार्ग निर्माण, तटबन्ध निर्माण की NOC दी गयी है। मार्ग निर्माण उपरान्त ROW (भूमि) शेष न बचने के कारण वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा सकता है। इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक संख्या—6)

उक्त के अतिरिक्त जनपद ललितपुर में उपलब्ध करायी गयी 223.0 है0 गैर वन भूमि में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी 41.36 है0 गैर वन भूमि एवं शेष 182.0 है0 अनुपयुक्त गैर वन भूमि के 12 जियो रेफ्ररेंस्ड मैप (संलग्नक संख्या—7), 05 एस0ओ0आई0 टोपोशीट (संलग्नक संख्या—8), लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट व गैर वन भूमि से संबंधित अन्य अभिलेख (संलग्नक संख्या—9), जनपद ललितपुर में उपयुक्त पायी गयी 41.36 हे0 गैर वन भूमि की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की परियोजना। (संलग्नक संख्या—10), के0एम0एल0फाईल (संलग्नक संख्या—11, सी0डी0 जिसके अन्तर्गत समस्त नक्शों की स्कैण्ड कॉपी है), प्रस्ताव का संशोधित भाग—1 (संलग्नक संख्या—12), प्रस्ताव का संशोधित भाग—2 (संलग्नक—13), मिर्जापुर वन प्रभाग में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित 182.0 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की परियोजना (संलग्नक संख्या—14), 182.0 हे0 अवनत वन भूमि का लैण्ड सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट (संलग्नक संख्या—15), 182.0 हे0 अवनत वन भूमि के जियो रेफ्ररेन्सड मैप (संलग्नक संख्या—16), 182.0 हे0 अवनत वन भूमि एस0ओ0आई0 टोपोशीट (संलग्नक संख्या—17) एवं शासनादेश सं0—वी0आई0पी0—23 / 14—2—2019—190 जी0 / 2018 दिनांक—28.06.2019 द्वारा वांछित प्रमाण—पत्र।(संलग्नक संख्या—18)

क्रमशः 2

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-23.06.2022 के विन्दु संख्या-1 के क्रम में 223.0 है0 गैर वन भूमि का समस्त विवरण के0एम0एल0फाईल सहित भाग-। में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दिया गया है एवं उपरोक्तानुसार आख्या के साथ भी हार्ड कॉपी में संलग्न किया गया है, विन्दु संख्या-2 के क्रम में गैर वन भूमि के संबंध में शासन के पत्र दिनांक-28.06.2019 के अनुपालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र आख्या के साथ संलग्न कर दिया गया है, विन्दु संख्या-3 के अनुपालन में 182 है0 अवनत वन भूमि से संबंधित जियो रेफ्रेन्स्ड मैप, एस0ओ0आई0टोपोशीट आख्या के साथ संलग्न करते हुए ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। साथ ही समस्त नक्शे एवं के0एम0एल0 फाईल आख्या के साथ संलग्न सी0डी0 में राईट कर दी गयी है।

अतः मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-23.06.2022 के क्रम में वांछित अभिलेख (पूर्व में प्रेषित अभिलेखों की संलग्नक संख्या को जारी रखते हुए) 04 प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि कि उक्त को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें ताकि विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु पविर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-21.09.2021 के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार (सी0डी0सहित)

भवदीय

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक 29 /14-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक-18.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-3696 /11-सी- FP/UP/Road/121197/2021, लखनऊ, दिनांकः जून 23 ,2022

सेवा मे,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

विषयः- चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि0मी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सदर्भः- भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/403, दिनांक-21.09.2021 एवं आपका पत्रांक-3350/14-10, दिनांक 20.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करन का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक 23.06.2022 को प्रेषित किया गया है, जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आज दिनांक 23.06.2022 को ही परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0-1 का पूर्णतयाः निराकारण नहीं किया गया है। आपके द्वारा भारत सरकार की आपत्ति सं0-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ललितपुर वन प्रभाग में दी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 223 हे0 गैर वनभूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल के स्थान पर मात्र 41 हे0 गैर वनभूमि का ही विवरण एवं जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल संलग्न ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ललितपुर वन प्रभाग में दी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 223 हे0 गैर वनभूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल की हार्डकॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें तथा ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड करें।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्रांक-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में उप जिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ललितपुर वन प्रभाग में दी जा रही 223 हे0 गैर वनभूमि में से मात्र 41 हे0 गैर वनभूमि ही वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पायी गयी 182 हे0 गैर वनभूमि के सापेक्ष मीरजापुर वन प्रभाग में 182 हे0 अवनत वनभूमि प्रस्तावित की गयी है, जिसके क्रम में 182 हे0 अवनत वनभूमि का प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र ही संलग्न कर प्रेषित किया गया है। आपके द्वारा 182 हे0 अवनत वनभूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल अलग से संलग्न कर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः 182 हे0 अवनत वनभूमि का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाईल अलग से संलग्न करें तथा ऑनलाईन पार्ट-2 में अपलोड करें।
4. उपरोक्त के क्रम में आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किये गये वांछित सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में मूल में इस आशय से वापस किये जा रहें है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख तीन प्रतियों में समेकित कर इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

23/6/22

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 3696/11-सी- FP/UP/Road/121197/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, झांसी एवं मिर्जापुर।
2. वन संरक्षक, सहारनपुर, मेरठ एवं झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर एवं मिर्जापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 3696/11-सी- FP/UP/Road/121197/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

23/6/22
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@gov.in, gdmoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0 /403

दिनांक : 21.09.2021.

सेवा मे,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

<u>Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021</u>

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग मे 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग मे 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग मे 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग मे 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0-1278/81-2-2021-800(123)/2021, लखनऊ, दिनांक-17.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण मे विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1- The proposal is for construction of a new Road, so NFL has to be provided for CA since the implementing agency is State Government.

2- Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.

3- Roadside plantation scheme (as approved by concerned DFO) needs to be submitted.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

<u>प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा)</u>:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

22/9/2021
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)